श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
CIN: U01100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल (बाईं ओर), प्रयागराज रोड,
अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या - 224001

ईमेल: info@shwetdharamilk.com||फोन: +917991402222||वेबसाइट: www.shwetdharamilk.com

अधिसूचना

सदस्यगण को सूचित किया जाता है कि श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 10वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, दिनांक 06 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे झुनझुनवाला कॉलेज, प्रयागराज रोड, अयोध्या – 224001 में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय लिया जाएगा:

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षणित बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण, संलग्न अनुसूचियां एवं टिप्पणियाँ तथा निदेशक मंडल और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार कर उन्हें अपनाना।

   "यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षणित बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, संलग्न अनुसूचियां एवं टिप्पणियाँ तथा निदेशकों एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, अनुमोदित एवं अंगीकृत की जाती है।"

2. वर्ष 2024-25 के लाभ से ₹8 प्रति पूर्ण चुकता ₹100 के इक्विटी शेयर पर लाभांश घोषित करने पर विचार।

   "यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के 4,77,894 पूर्ण चुकता ₹100 के इक्विटी शेयरों पर ₹8 प्रति शेयर की दर से कुल ₹38,23,152/- (अड़तीस लाख तेइस हजार एक सौ बावन रुपये) का सीमित लाभांश घोषित किया जाता है, जो उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च 2025 को सदस्यों की रजिस्टर में दर्ज हैं।"

3. निर्देशक का पुनः नियुक्ति (क्लास-A) श्रीमती श्यामलता (DIN: 09695142) जो क्लास-A की प्रतिनिधि हैं और जिनका कार्यकाल रोटेशन के अनुसार समाप्त हो रहा है, को पुनः नियुक्त करने पर विचार।

   "यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार श्रीमती श्यामलता (DIN: 09695142) को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो आगे भी रोटेशन के अधीन रहेंगी।"

4. श्रीमती पुष्पांजलि सिंह (DIN: 11192949) (कक्षा-ए का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना जो कि श्रीमती कांति (DIN: 09695064) (सी क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए ।

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152, 161, 378P और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती कांति (DIN: 09695064) (सी क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, दसवीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती पुष्पांजलि सिंह (DIN: 11192949) (वर्ग-ए का प्रतिनिधित्व) के निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

5. श्रीमती निशा यादव (DIN: 11192972) (वर्ग-A की प्रतिनिधि) को निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना, क्योंकि श्रीमती किरण (DIN: 09695122) (वर्ग C की प्रतिनिधि) रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में अपनाने के लिए |

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161, 378P तथा अध्याय XXIA एवं अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत, श्रीमती किरण (DIN: 09695122), जो वर्ग-C की प्रतिनिधि निदेशक थीं, दसवीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनः नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं। परिणामस्वरूप, रिक्त पद को श्रीमती निशा यादव (DIN: 11192972), वर्ग-A की प्रतिनिधि, को निदेशक के रूप में नियुक्त कर भरा जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।"

6. वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट अनुमोदन कंपनी के आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के बजट को अनुमोदित करने पर विचार।

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी का बजट वर्ष 2025-2026 के लिए, जो सभा में प्रस्तुत किया गया है, उसे सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

निर्देशक मंडल के आदेश से

स्थान: अयोध्या
तिथि: 11/07/2025

रोहित कुमार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक
DIN: 10449271

सूचना

1. वार्षिक आम सभा में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्य के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखित विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।

2. सभी सदस्य/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि बैठक में भाग लेने हेतु भेजी गई उपस्थिति पर्ची को भरकर साथ लाएँ।

3. इस सूचना में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्यदिवसों (शनिवार और रविवार को छोड़कर) पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

4. सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आएँ, क्योंकि कंपनी स्थल पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।

5. यदि कोई सदस्य कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित किसी जानकारी की अपेक्षा रखते हैं, तो वे अपनी जिज्ञासा बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज दें।

6. सभी सदस्य अपने पत्राचार में फोलियो नंबर और सदस्य कोड का उल्लेख अवश्य करें।

7. सभी सदस्य अपने पते और बैंक खाता विवरण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।

8. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोलाबारूद, चाकू, ब्लेड, नुकीले उपकरण आदि लाना सख्त वर्जित है।

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता विवरण।

नाम	पेशा	शैक्षिक योग्यता
श्रीमती श्यामलता	पशुपालन	इंटरमीडिएट
श्रीमती निशा यादव	पशुपालन	पीएच.डी.
श्रीमती पुष्पांजलि सिंह	पशुपालन	स्नातक

निर्देशक मंडल के आदेश से

स्थान: अयोध्या
तिथि: 11/07/2025

रोहित कुमार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक
DIN: 10449271

व्याख्यात्मक विवरण
वस्तु संख्या 04

श्रीमती पुष्पांजलि सिंह को कंपनी के निदेशक के रूप में वार्षिक आम बैठक (AGM) की तिथि से नियुक्त किया गया है, जो कि कंपनियों अधिनियम तथा कंपनी के अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुरूप है।

निदेशक मंडल का मत है कि श्रीमती पुष्पांजलि सिंह की निदेशक पद पर नियुक्ति कंपनी के हित में है और इससे कंपनी को लाभ प्राप्त होगा। अतः निदेशक मंडल प्रस्ताव संख्या 07 को सदस्यों की मंजूरी हेतु अनुमोदित करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों को, श्रीमती पुष्पांजलि सिंह को छोड़कर, इस प्रस्ताव में किसी प्रकार की कोई रुचि या सरोकार नहीं है। यह प्रस्ताव एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किए जाने की सिफारिश की जाती है।

वस्तु संख्या 05
श्रीमती निशा यादव को कंपनी के निदेशक के रूप में वार्षिक आम बैठक (AGM) की तिथि से नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि कंपनियों अधिनियम तथा कंपनी के अनुच्छेदोंके प्रावधानों के अनुसार है।

निदेशक मंडल का मत है कि श्रीमती निशा यादव की निदेशक पद पर नियुक्ति कंपनी के हित में है और इससे कंपनी को लाभ प्राप्त होगा। अतः निदेशक मंडल प्रस्ताव संख्या 06 को सदस्यों की मंजूरी हेतु अनुमोदित करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को, श्रीमती निशा यादव को छोड़कर, इस प्रस्ताव में कोई व्यक्तिगत हित या सरोकार नहीं है। यह प्रस्ताव एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किए जाने की सिफारिश की जाती है।

निर्देशक मंडल के आदेश से

स्थान: अयोध्या
तिथि: 11/07/2025

रोहित कुमार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक
DIN: 10449271